निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

जीसीएमएस नं0 2025/393

प्रकरण संख्या 46/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कैपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री रेवडमल शर्मा निवासी सुन्दरपुर तह0 लालसोट जिला दौसा 333503
अन्य पता – सम्पत्ति स्थित पट्टा नं0 26 ग्राम पंचायत पीपलदा तह0 बौली जिला स.मा 322030
2. श्रीमती ललिता देवी पुत्री श्री महादेव प्रसाद शर्मा निवासी सुन्दरपुर तह0 लालसोट जिला दौसा 333503
3. मैसर्स सर्वेश्वर बाल शिक्षा समिति जरिये चेयरमैन पता– ग्राम पीपलदा तह0 बौली जिला स0मा0 322030
4. हरिकेश मीणा पुत्र श्री ओंकार मल मीणा निवासी– देवल्डा कल्याणपुरा जिला दौसा राज0 303503

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.01.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री रेवडमल शर्मा निवासी सुन्दरपुर तह0 लालसोट जिला दौसा की सम्पत्ति पट्टा नं0 26 बहक सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री रेवडमल शर्मा, ग्राम पंचायत पीपलदा पंचायत समिति व तह0 बौली जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में धूलचन्द खारवाल, पश्चिम में आम रास्ता स्वयं की जगह, उत्तर में गली भाटी की जगह व दक्षिण में गली उद्दाखारवाल धूलचन्द है, जिसका क्षेत्रफल 280 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 20,53,065/– (बीस लाख तरेपन हजार पैसठ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 20.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो माह का समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में दो माह का समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थीगण को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया साथ ही दिनांक 20.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थीगण को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 31 मार्च 2026 तक का समय दिया जाता हैं साथ ही बैंक को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराये। यदि अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं0 26 बहक सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री रेवडमल शर्मा, ग्राम पंचायत पीपलदा पंचायत समिति व तह0 बौली जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में धूलचन्द खारवाल, पश्चिम में आम रास्ता स्वयं की जगह, उत्तर में गली भाटी की जगह व दक्षिण में गली उद्दाखारवाल धूलचन्द है, जिसका क्षेत्रफल 280 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 18.2.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner